41–(08)–107–2020

पटना में दिनांक–03 मार्च, 2020 मंगलवार को अपराह्न 05:30 बजे हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गयेः–

ऊर्जा विभाग

1.	दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (DDUGJY) में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग कृषि फीडर के निर्माण, वितरण एवं उप संचरण लाईन सुदृढ़ीकरण एवं विस्तारीकरण तथा मीटरीकरण हेतु नॉर्थ/साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि० के लिए स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु कुल राशि 5827.23 करोड़ (पाँच हजार आठ सौ सत्ताईस करोड़ तेईस लाख) रूपये का 30 प्रतिशत अर्थात 1748.169 करोड़ (एक हजार सात सौ अड़तालीस करोड़ सोलह लाख नब्बे हजार) रूपये राज्य सरकार की गारंटी पर REC Ltd. से ऋणस्वरूप प्राप्त करने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।	1.	स्वीकृत।

ऊर्जा विभाग

2.	बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कं० लि० के अन्तर्गत संचरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण हेतु मुरलीगंज (मधेपुरा) में एक नये 2x50 एम०भी०ए० क्षमता वाली 132/33 के०भी० ग्रिड सब–स्टेशन, इससे संबंधित संचरण लाईन एवं उदाकिशनगंज ग्रिड सब–स्टेशन में दो लाईन 'बे' के निर्माण हेतु 135.39 करोड़ (एक सौ पैंतीस करोड़ उनचालीस लाख) रूपये की योजना की स्वीकृति एवं उक्त राशि का 20% अर्थात 27.078 करोड़ (सत्ताईस करोड़ सात लाख अस्सी हजार) रूपये पूँजीगत निवेश के रूप में इक्विटी स्वरूप एवं शेष 80% अर्थात 108.312 करोड़ (एक सौ आठ करोड़ इकतीस लाख बीस हजार) रूपये राज्य सरकार की गारण्टी पर विभिन्न वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।	2.	स्वीकृत।

ऊर्जा विभाग

3.	राज्य सरकार की गारन्टी पर बिहार स्टेट पॉवर (हो०) कं० लि० के दोनों वितरण कंपनियों यथा– नॉर्थ/साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं० लि० द्वारा ऊर्जा बकाया के	3.	स्वीकृत।

मद में विभिन्न ऊर्जा प्रतिष्ठानों को भुगतान एवं मासिक ऊर्जा विपत्र की राशि के समतुल्य का साख–पत्र (Letter of Credit) स्थापन हेतु पंजाब नेशनल बैंक एवं अन्य विभिन्न बैंकों (Consortium Banks) से नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं० लि० को 350.00 करोड़ (तीन सौ पचास करोड़) रूपये एवं साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं०लि० को 450.00 करोड़ (चार सौ पचास करोड़) रूपये अर्थात कुल 800.00 करोड़ (आठ सौ करोड़) रूपये कार्यशील पूँजी ऋण (working Capital Loan) प्राप्त करने की स्वीकृति एवं प्राप्त होने वाले ऋण तथा ऋण पर ब्याज का भुगतान दोनों वितरण कंपनियों द्वारा अपने आंतरिक संसाधनों से किये जाने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

ऊर्जा विभाग

4.	मुख्यमंत्री नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा योजनान्तर्गत 1 से 500 किलो वाट (125 मेगावाट) पावर क्षमता के राज्य के सरकारी आवास, भवन, गैर सरकारी भवनों, संस्थागत एवं सामाजिक संस्थान, जो सरकार से वित्त पोषित हैं, में राज्य एवं केन्द्रीय अनुदान तथा वैसे संस्थागत एवं सामाजिक संस्थान, जो सरकार से वित्त पोषित नहीं हैं, में मात्र केन्द्रीय अनुदान के साथ ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप पावर प्लान्ट की कुल 937.50 करोड़ (नौ सौ सैंतीस करोड़ पचास लाख) रूपये की स्वीकृत योजना में संशोधन करते हुए (क) सरकारी भवनों के लिए राज्यांश की राशि 25% की जगह शत–प्रतिशत करने एवं (ख) निजी आवासीय भवनों, ग्रुप हाउसिंग सोसाईटी/आवासीय कल्याण संघ के छतों पर ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप पावर प्लान्ट का अधिष्ठापन ब्रेडा के अतिरिक्त वितरण कंपनियों द्वारा करने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।	4.	स्वीकृत।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग

5.	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार में अमीन संवर्ग के अंतर्गत अमीन के 14 अतिरिक्त पदों का सृजन एवं पूर्व से स्वीकृत प्रारूपक के 16 पदों को परिमापक के पदों में सम्परिवर्तन किये जाने का प्रस्ताव की स्वीकृति के संबंध में।	5.	स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

6. पटना शहर के नेहरू पथ पर डॉ० राम मनोहर लोहिया पथ चक्र का निर्माण कार्य हेतु कुल 39147.77 लाख (तीन सौ एकानवे करोड़ सैतालीस लाख सतहत्तर हजार) रूपये के अनुमानित लागत को राज्य योजना मद के स्थान पर पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (BRGF) मद से प्रतिस्थानी प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। — 6. स्वीकृत।

वित्त विभाग

7. बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2020 को बिहार विधान सभा में 24 फरवरी, 2020 से शुरू हुए सत्र में उपस्थापन करने की स्वीकृति एवं विधेयक को बिहार विधान सभा एवं बिहार विधान परिषद् में पुरःस्थापित एवं विचार करने हेतु महामहिम राज्यपाल की अनुशंसा प्राप्त करने के संबंध में। — 7. स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

8. स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत राजेन्द्र नगर अस्पताल, पटना को तीस शैय्या वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में उत्क्रमित करते हुए पूर्व सृजित अनुपयोगी कुल 21 पदों का प्रत्यर्पण, उपयोगी 6 पदों को अब CHC हेतु स्वीकृत मानने एवं उत्क्रमित CHCs हेतु आवश्यक विभिन्न कोटि के कुल 54 अतिरिक्त पदों के सृजन की स्वीकृति। — 8. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

9. सिवान जिलान्तर्गत अंचल–मैरवाँ के मौजा–भोपतपुरा, थाना नं०–90, के अन्तर्गत कुल रकबा–25 एकड़ 03 डिसमिल कृषि विभाग, बिहार सरकार की भूमि किस्म भीठ चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना हेतु (भूमि परिशिष्ट–I संलग्न) स्वास्थ्य विभाग को निःशुल्क अन्तर्विभागीय हस्तान्तरण के संबंध में। — 9. स्वीकृत।

नगर विकास एवं आवास विभाग

10. वित्तीय वर्ष 2019–20 में बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड (बुडको) को पटना शहर में अवस्थित विभिन्न ड्रेनेज पम्पिंग प्लांटों के रख–रखाव, सम्पोषण, संचालन आदि हेतु स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत सहायक अनुदान के रूप में ₹3000.00 लाख (तीस करोड़ रू०) के व्यय की स्वीकृति के संबंध में। — 10. **स्वीकृत।**

नगर विकास एवं आवास विभाग

11. पटना शहर एवं इसके निकटवर्ती क्षेत्रों से जल–जमाव से मुक्ति के लिए Design consultant for Planning, Design & Preparing DPR & Bid Document for comprehensive Storm Water Drainage System for Patna Nagar Nigam, Khagaul, Danapur, Phulwarisharif and adjoining area हेतु परामर्शी शुल्क ₹750.00 लाख + 18 प्रतिशत GST (₹135.00 लाख) अर्थात कुल ₹885.00 लाख (आठ करोड़ पचासी लाख रू०) मात्र के स्वीकृति के संबंध में। — 11. **स्वीकृत।**

आपदा प्रबंधन विभाग

12. माह फरवरी, 2020 में असामयिक वर्षा एवं ओलावृष्टि के कारण हुए फसल क्षति हेतु कृषकों को कृषि इनपुट अनुदान के वितरण की स्वीकृति के संबंध में। — 12. **स्वीकृत।**

आपदा प्रबंधन विभाग

13. बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, पटना के द्वारा अस्पताल अग्नि सुरक्षा कार्ययोजना के अंतर्गत जन–जागरूकता एवं प्रशिक्षण के लिए मॉडलों तथा walk through film बनाये जाने के आलोक में बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली 131(G) में निहित प्रावधान को क्षान्त करने के संबंध में। — 13. **स्वीकृत।**